


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/2402 दिनांक 12.09.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-</p> <p>ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाडा।</p> <p>1. चान्दी बाई पत्नी स्व0 देवी हिस्सा 2453/25554 माली, जगदीश पुत्र नन्दा हिस्सा 4088/25554 माली, देउ पुत्री देवी हिस्सा 2453/25554 माली, लाली पुत्री देवी हिस्सा 2453/25554 माली सा0 देह, तारा पत्नी ललित कुमार हिस्सा 3067/25554, हिरण सा0 भीलवाडा, राजेश कुमार पुत्र घनश्याम हिस्सा 3067/25554 जाति पलोड सा भीलवाडा विमला पत्नी हाबुलाल हि03067/25554 बाबेल सा0 देह खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :-</p> <p>आराजी नम्बर 9099/430/1 क्षेत्रफल 2.5554 हैक्टेयर कुल कित्ता 01 कुल रकबा 2.5554 हैक्टेयर भूमि रहेगी।</p> <p>2. नारायण लढा पुत्र केदार लाल लढा जाति महाजन निवासी 02-एफ-11 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा, खातेदार के के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-</p> <p>आराजी नम्बर 9099/430/2 रकबा 2.3509 हैक्टेयर कुल कित्ता 01 कुल रकबा 2.3509 हैक्टेयर रहेगी।</p> <p>उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल होकर नम्बर से कम की जावें।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर भीलवाडा </p>	

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या
74/2024

दायर दिनांक
28.08.2024

निर्णय दिनांक
12.09.2024

उनवान

1. नारायण लढा पुत्र केदार लाल लढा जाति महाजन निवासी 02-एफ-11 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा व जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादी

बनाम

1. श्रीमती चान्दीबाई पत्नि स्व0 देवी माली निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. जगदीश पुत्र नन्दा जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा
3. तारा पत्नि ललितकुमार जाति हिरण निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. देऊ पुत्री देवी जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. धापू पुत्री देवी जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. बक्सु पुत्र देवी जाति माली आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. राजेशकुमार पुत्र घनश्याम पलोड़ निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. लाली पुत्री देवी जाति माली निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. विमला पत्नी हाबुलाल जाति बाबेल आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं।


वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियत

वादी की और से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 12.09.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम पुर पटवार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

1. चान्दी बाई पत्नी स्व0 देवी हिस्सा 2453/25554 माली, जगदीश पुत्र नन्दा हिस्सा 4088/25554 माली, देऊ पुत्री देवी हिस्सा 2453/25554 माली, लाली पुत्री देवी हिस्सा 2453/25554 माली सा0 देह, तारा पत्नी ललित कुमार हिस्सा 3067/25554, हिरण सा0 भीलवाड़ा, राजेश कुमार पुत्र घनश्याम हिस्सा 3067/25554 जाति पलोड़ सा भीलवाड़ा विमला पत्नी हाबुलाल हिस्सा 3067/25554 बाबेल सा0देह खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :-
आराजी नम्बर 9099/430/1 क्षेत्रफल 2.5554 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.5554 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. नारायण लढा पुत्र केदार लाल लढा जाति महाजन निवासी 02-एफ-11 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-
आराजी नम्बर 9099/430/2 रकबा 2.3509 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.3509 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें।



(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा